

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :  
सम्बद्धता विभाग,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर



ग्राम : यूनिवर्सिटी  
दूरभाष : (0751-244228  
(कार्यालय)  
ई-मेल : E-mail :  
jiwajidcdc@gmail.com  
Website  
:http://www.jiwaji.edu/  
दिनांक : 18-7-2024

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2024/10940  
प्रति,

प्राचार्य/संचालक/अध्यक्ष/सचिव  
समस्त सम्बद्ध शासकीय/अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालय  
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय:- वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-24 हेतु जानकारी भेजने बावत।

संदर्भ:- विश्वविद्यालय का पत्र क्र. एफ/प्रशा/प्रवेश/2024/8416 दिनांक 21.06.2024  
महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि जीवाजी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों से सत्र 2023-24 हेतु वार्षिक प्रतिवेदन जमा कराया जाना है।


अतः उक्त संबंध में समस्त शासकीय/अशासकीय/अनुदानित/अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के प्राचार्य/संचालक/अध्यक्ष/सचिव को सूचित किया जाता है, कि वे पत्र के साथ संलग्न निर्देशानुसार निर्धारित प्रोफार्मा में जानकारी भरकर अतिशीघ्र विश्वविद्यालय के प्रशासन विभाग में जमा करावें। वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं किये जाने पर होने वाली वैधानिक कार्यवाही हेतु महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

संलग्न:- विश्वविद्यालय द्वारा जारी पत्र एवं प्रोफार्मा।

  
कुलसचिव,

प्रतिलिपि :-

1. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
2. कुलसचिव के निज सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. श्री एच.के. द्विवेदी, प्रभारी, आई. टी. सेल. की ओर इस आशय के साथ प्रेषित कि वह उक्त पत्र को तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
निदेशक,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : एफ/प्रशा/प्रवेश/2024/8416

दिनांक 21-06-2024

प्रति,

विभागाध्यक्ष/आधिकारी/समन्वयक/निदेशक/प्रभारी/वार्डन

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

एवं प्राचार्य, जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंध, समस्त महाविद्यालय (शासकीय एवं अशासकीय )

विषय:- वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2023-24 हेतु जानकारी भेजने बावत।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय का वर्ष 2023-24 का (01 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक) वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाना है जिसमें निम्नलिखित विवरण प्रकाशित होना आवश्यक है :-

1. महाविद्यालय का संक्षेप में इतिहास स्थापना वर्ष।
2. प्राचार्य का नाम (यदि प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्य दिया गया हो तो स्पष्ट अंकित किया जाये एवं प्राध्यापकों की िषयावार संख्या भी दी जायें।)
3. स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर के उन विषयों का विवरण जिनके अध्ययन हेतु महाविद्यालय को सम्बद्धता है तथा वे विषय जिनमें शोध सुविधायें उपलब्ध हैं और शोध केन्द्र के रूप में मान्य हैं।
4. छात्रों की संख्या (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडा वर्ग की जानकारी पृथक से अंकित की जावे।)
5. पुस्तकालय की स्थिति।
6. परीक्षा परिणाम
7. अन्य विशेष कार्यक्रम तथा विशेष गतिविधियां जो प्रकाशन योग्य हों तो उनके विवरण अलग से टाईप कराकर भेजे जा सकते हैं।

वार्षिक प्रतिवेदन शासन के विभिन्न विभागों की ओर भेजने के अतिरिक्त विधानसभा पटल पर भी रखे जाते हैं। शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार यदि शासकीय महाविद्यालय निर्धारित समय-सीमा में प्रतिवेदन संबंध जानकारी विश्वविद्यालय में नहीं भेजते हैं तो संबंधित विश्वविद्यालय अध्ययनशाला महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की दो वेतन वृद्धि रोकी जाने एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को लिखा जावेगा तथा अशासकीय महाविद्यालय यदि समय सीमा में जानकारी नहीं भेजते हैं तो ऐसे महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी तथा महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने हेतु शासन को भी लिखा जावेगा।

अतः कृपया व्यक्तिगत रुचि लेकर शीघ्रातिशीघ्र समस्त जानकारी दिनांक 22-07-2024 तक वार्षिक प्रतिवेदन की तीन-तीन प्रतियों में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (M.S. OFFICE WORD) में स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से अनिवार्यतः कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर कपते पर भेजने का कष्ट करें। उक्त जानकारी जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर के डाटा सेंटर के ई-मेल आई डी-[juadmsection@gmail.com](mailto:juadmsection@gmail.com) पर भी आवश्यक रूप से भेजे।

“ भेजी गई जानकारी तथ्यात्मक एवं सत्य है” इस आशय का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।

  
कुलसचिव

संलग्न :- प्रोफार्मानुसार।

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर चम्बल संभाग, ग्वालियर।
4. कुलगुरु के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. वेबसाइट प्रभारी, इस सूचना पत्र को तत्काल जीवाजी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

  
उप/सहा-कुलसचिव (प्रशा0)

